

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/

3800

दिनांक - 03/08/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कूम्याराम 2 भारूराम 3 पांचाराम पिसरान करनाराम
4 पेमाराम 5 केवलाराम 6 नेमाराम 7 मगाराम पिसरान
पूर्णाराम 8 देमीदेवी पत्नी पूर्णाराम 9 नेनूदेवी पत्नी
चन्दनाराम 10 अरुण कुमार पुत्र चन्दनाराम जातियान्
मेघवाल निवासीयान सांसियों का तला (मुरटाला
गाला) तहसील व जिला बाड़मेर।


1 केसराराम पुत्र काछूराम
वगैराह जातियान् जाट
निवासीयान सांसियों का तला,
मुरटालागाला, तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 137/2023

दिनांक- 21/07/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसियों का तला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 1091/635 रकबा 16.02 बीघा व खसरा संख्या 1098/635 रकबा 18.02 बीघा कुल
रकबा 34.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से
पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 03/08/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 3801-04
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कूम्याराम पुत्र करनाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सांसियों का तला, मुरटालागाला
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केसराराम पुत्र काछूराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सांसियों का तला,
मुरटालागाला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर